..० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 1971/भाद्र 26, 1893
No. 168] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 1971/BHADRA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 17th September 1971

G.S.R. 1380/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Control) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Control) Second Amendment Order, 1971.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugar (Control) Order, 1966, after clause 5, the following clause shall be inserted, namely:—

"5A. *Sugar attached by Government officers, etc. not to be sold without directions.*—where any stock of sugar with any producer or recognised dealer is attached or seized,—

(i) by any officer of the Central or a State Government in accordance with the provisions of any enactment for the time being in force, or

(ii) in pursuance of any proceedings in a civil court,

the sugar so attached or seized shall not be ordered to be sold unl
or court is satisfied that directions have been issued by the Central
under clause 5 regarding the sale of such sugar."

[No. 1-15/.

S. V. SAMPATH, Jt. . ecy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1971

सा० का० नि० 1380.—**आव० वस्तु/शर्करा**—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1971 होगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 में, खंड 5 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**5क. सरकारी अधिकारियों, आदि द्वारा कुर्क की गई शर्करा निदेश के बिना नहीं बेची जाएगी**-जहां किसी उत्पादक या मान्यताप्राप्त व्यवहारी की शर्करा का कोई स्टाक,—

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अनुसार, या

(ii) किसी सिविल न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों के अनुसरण में, कुर्क या अभिगृहीत कर लिया गया है तो इस प्रकार कुर्क या अभिगृहीत की गई शर्करा को बेचने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अधिकारी या न्यायालय का यह समाधान न हो जाए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी शर्करा के विक्रय के बारे में खंड 5 के अधीन निदेश दे दिए गए हैं ।"

[सं० 1-15/71-एस० पी० वाई०]

(एस० बी० सम्पथ)

संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971